न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1003/2024

अनवान : –

1. रामचन्द्र पुत्र देवसीराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः – 21/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 187/187 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्वं रिकार्ड उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र देवसी दर्ज है तथा रौंही मौजा 6 बारानी के खाता स0 737/187 की भूमि मे प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र देवसीराम दर्ज है।

रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 187/187 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र देवसी दर्ज है तथा रौंही मौजा 6 बारानी के खाता स0 737/187 की भूमि मे प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र देवसीराम दर्ज है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जनआधार कार्ड आदि में भी रामचन्द्र पुत्र देवसीराम दर्ज है एवं देवसीराम के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी के पिता का नाम देवसीराम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है वादी अपना नाम दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शमिल मिसल की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:58:57 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादी सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 187/187 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र देवसी दर्ज है तथा रोही मौजा 6 बारानी के खाता स0 737/187 की भूमि मे प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र देवसीराम दर्ज है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान–पत्र,

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जनआधार कार्ड आदि में भी रामचन्द्र पुत्र देवसीराम दर्ज है एवं देवसीराम के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी के पिता का नाम देवसीराम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है अतः मुताबिक वादी के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादी का सही नाम रामचन्द्र पुत्र देवसीराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 187/187 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र देवसी दर्ज है तथा रोही मौजा 6 बारानी के खाता स0 737/187 की भूमि मे प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र देवसीराम दर्ज है पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचना पत्र, जनआधार कार्ड आदि में वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र देवसीराम अंकित है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 187/187 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र देवसी के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र देवसीराम के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों ।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:58:57 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1003/2024
अनवान : –

1. रामचन्द्र पुत्र देवसीराम जाति जाट निवासी पिचकराई तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1003 सन 2024 निर्णय दिनांक - 21/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 187/187 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र देवसी के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र देवसीराम के अंकन किये जाने किघोषणा की जाती है।** यदि किसी अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.10 15:58:57 IST
Reason: SelfAttested